



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेस नोट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

दिनांक 19.07.2021

थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए तीन सुनारों सहित कुल 09 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी हुए सोने व चाँदी के आभूषण हुए बरामद.....

जनपद में चोरी, लूट, डकैती, अवैध नशीला पदार्थ की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हरीपर्वत को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 19.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा देहली रोड पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि जनवरी 2021 में सोंठ की मण्डी बिल्लोचपुरा व अगस्त 2021 में लता कुंज मथुरा रोड में चोरी करने वाले चोरी आज चोरी के जेवरातों को बेचने के लिए पालीवाल पार्क में आये हुए हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

उपरोक्त प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख सभी भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर कुल 09 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया एवं दो अभियुक्तगण अंधेरे व झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी, 01 मंगलसूत्र, 01 अँगूठी, 01 जोड़ी टॉक्स (सभी पीली धातु) 34 नग बिछुआ, 01 अँगूठी, 05 जोड़ी पाजेब, 03 जोड़ी टॉक्स, 01 हार सफेद मोतियों का, 02 मोतियों की माला, 01 लेडीज पर्स व कुल 04 मोबाइल बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त निखिल माहौर द्वारा बताया गया कि पौलीथिन में बरामद सोने व चाँदी के जेवरात मैंने अपने साथी (1) श्याम ठाकुर (2) हनी शर्मा (3) बिलाल खॉन (4) हिमांशू कुशवाह (5) विशाल प्रजापति (6) अन्नू उर्फ मिथुन (7) ताहिर उर्फ जाहिद के साथ मिलकर जनवरी 2021 में पागल खाने के सामने सोंठ की मण्डी बिल्लोचपुरा में स्थित एक बंद मकान से दिन में चोरी किये थे। अलमारियों का लॉक तोड़कर हमने सोने चाँदी के जेवरात व 30 हजार रुपये नगद चोरी किये थे। चोरी किये गये जेवरातों में ज्यादातर जेवरातों हमने नमक की मण्डी स्थित एक दुकान पर गलवाये थे, जिसकी गलाई का काम शशिकांत धागडे के द्वारा किया गया था। गले हुये सोने व चाँदी की सिल्ली को हमने तुषार वर्मा व उसके पिता अमित वर्मा उर्फ ओ.के. वर्मा को सस्ते दामों पर बेचा था। गले सोने व चाँदी से प्राप्त रुपयों को हम लोगों ने आपस में बराबर बाँट लिया था।

लेडीज पर्स में बरामद जेवरात मैंने अपने साथी (1) श्याम ठाकुर (2) हनी शर्मा (3) बिलाल खॉन (4) हिमांशू कुशवाह (5) विशाल प्रजापति (6) अन्नू उर्फ मिथुन (7) ताहिर उर्फ जाहिर के साथ मिलकर अगस्त 2021 में रात्रि के समय एक बंद मकान लता कुंज मथुरा रोड ट्रासपोर्ट नगर से चोरी किये थे। अलमारियों का लॉक तोडकर उसमे रखे सोने चाँदी के जेवरात व 60 हजार रुपये नगद चोरी किये थे। चोरी किये गये जेवरातों में ज्यादातर जेवरात हमने नमक की मण्डी स्थित एक दुकान पर गलवाये थे जिसकी गलाई का काम शशिकांत धागडे द्वारा किया था और गले हुये सोने व चाँदी की सिल्ली को हमने तुषार वर्मा व उसके पिता अमित वर्मा उर्फ ओ.के. वर्मा को सस्ते दामों पर बेचा था। गले सोने व चाँदी से प्राप्त रुपयों को हम लोगों ने आपस में बराबर बाँट लिया था और अपनी मौज मस्ती में खर्च कर लिया था।

हम आज सभी लोग इन बचे हुये जेवरातों को संजीव गुप्ता, शशिकांत धागडे, तुषार वर्मा व अमित वर्मा उर्फ ओ.के. वर्मा को बेचने के लिये आये थे।

मथुरा रोड पर स्थित लता कुंज मकान से हुयी चोरी के सम्बन्ध में थाना पर मु.अ.स. 315/2021 धारा 457/380 भा.द.वि. एवं सोंठ की मण्डी बिल्लोचपुरा से हुयी चोरी के संबंध में थाना पर मु.अ.स. 16/2022 धारा 454/380 भा.द.वि. पंजीकृत है। बरामदगी होने पर दोनों अभियोगों में धारा 411 भा.द.वि. की बढोत्तरी की गयी।

अभियुक्तगण का नाम :-

01. निखिल माहौर पुत्र भारत माहौर नि० सैय्यद गली मोती कटरा थाना एमएम गेट आगरा।
02. श्याम ठाकुर पुत्र हरिओम ठाकुर निवासी अन्तराम की बगीची कटरा चीनी का रोजा रामबाग थाना एत्मादौला जनपद आगरा।
03. हनी शर्मा पुत्र सूरज शर्मा नि० कटरा बजीर खॉ अंतराम की बगीची रामबाग थाना एत्मादौला जनपद आगरा।
04. बिलाल खान पुत्र खरम खान निवासी मोती कटरा टीला जोशियान थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
05. हिमांशू कुशवाह पुत्र बाबूलाल कुशवाह निवासी कटरा बजीरखॉ रामबाग एत्मादौला आगरा।
06. विशाल प्रजापति पुत्र स्व० श्री बाबूलाल मिस्त्री निवासी मानसिंग क्वार्टर द्वितीय तल मोती कटरा थाना मदन मोहन गेट जनपद आगरा।
07. संजीव गुप्ता पुत्र महीश चन्द्र गुप्ता निवासी सैरन वालो कोम्पलैक्स थाना एमएम गेट जनपद आगरा।
08. शशिकांत धागडे पुत्र दोनेडराम धागडे निवासी मंशादेवी गली राजामण्डी थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।
09. तुषार वर्मा पुत्र अमित वर्मा उर्फ ओ.के. वर्मा निवासी द्वितीय फ्लोर रुकमणि भवन कमलेश वाटिका के सामने छिली ईट रोड घटिया आजम खॉ थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

फरार अभियुक्तगण :-

01. अमित वर्मा उर्फ ओ.के. वर्मा नि० रुकमणि भवन कमलेश वाटिका के सामने छिली ईट रोड घटिया आजम खॉ थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. अन्नू उर्फ मिथुन पुत्र हरिओम ठाकुर नि० अन्तराम की बगीची कटरा चीनी का रोजा रामबाग थाना एत्मादौला जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :-

01. 01 मंगलसूत्र, 01 अँगूठी, 01 जोड़ी टॉक्स (सभी पीली धातु)।
02. 34 नग बिछुआ, 01 अँगूठी, 05 जोड़ी पाजेब, 03 जोड़ी टॉक्स, 01 हार सफेद मोतियों का, 02 मोतियों की माला (सभी सफेद धातु)।
03. 01 लेडीज पर्स।
04. 04 मोबाइल।
05. 01 स्कूटी घटना में प्रयुक्त।

आपराधिक इतिहास का विवरण :-

अभियुक्त निखिल

01. मु0अ0सं0 315 / 2021 धारा 457 / 380 / 411 भा.द.वि. थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 16 / 2022 धारा 454 / 380 / 411 भा.द.वि. थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 94 / 21 धारा 324 / 458 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 96 / 21 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

अन्य अभियुक्तगण

01. मु0अ0सं0 315 / 2021 धारा 457 / 380 भा.द.वि. थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 16 / 2022 धारा 454 / 380 भा.द.वि. थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 श्री अमित प्रसाद थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
04. उ0नि0 अमित धामा थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
05. का0 हरिओम कुमार, का0 गौतम, का0 कर्मवीर सिंह, का0 ब्रजेश कुमार, का0 सुनील कुमार, का0 पीयुष कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।